

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :- 24/04/26

वादी की ओर से श्री ~~जितेंद्र~~ कुमार मण्डा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से श्री मुकेश कुमार अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा किया जाता है:-

चक 1 एसजीआर-ए के खाता सं. 10/9 के प.नं. 12/300 (4) किला नं. 5/1, 5/2, 6, 15, 16, 25, प.नं. 13/300 (3) किला नं. 1/1 ता 25/2, प.नं. 13/303 (20) किला नं. 20, 21/1, 21/2, 22/1 22/2 की 8.349 हैक. नहरी मय रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा व चक 13 एलजीडब्ल्यू के खाता सं. 16/6 के प.नं. 14/300 (42) किला नं. 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 24, प.नं. 15/302 (46) किला नं. 4/5, 4/6 की 2.391 हैक. नहरी मय खाला खातेदारी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा के वादी व प्रतिवादी सं. 2 ब. हि. ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा

3  
सहायक कलक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 24/4/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



( उमा मित्तल आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
सहायक कलेक्टर एव  
विद्वान सहायक कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा